

## समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० थराली, (चमोली)

### तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

### के बीच

आज वर्ष २०१९ के ०९ महीने की ०२ तारीख को निष्पादित किया गया है।

- 1 – यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
- 2 – यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि उक्त परियोजना के निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा, तथा नाप भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।
- 3 – यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

*B. N. J.*

अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
थराली (चमोली)

*१०*

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
थराली, (चमोली)

नाम भूमि धर

*कैलाला राम*

हस्ताक्षर

*राम*

*नाला बल*

*कैलाला राम*

*राम*

*कैलाला राम*

*राम*

*सहायक अभियन्ता*  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
थराली (चमोली)

*राम*

## समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० थराली, (चमोली)

### तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

### के बीच

आज वर्ष २०१९... के ०९... महीने की ०२... तारीख को निष्पादित किया गया है।

- 1 - यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
- 2 - यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि उक्त परियोजना के निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा, तथा नाप भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।
- 3 - यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

Bny:  
अमीन  
नि० ख० ल०० नि० वि०  
थराली (चमोली)

*gj*  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
थराली, (चमोली)

नाम भूमि धर  
*निर्माण खण्ड*  
*मिल्ली ल००५८*  
*निर्माण खण्ड*

हस्ताक्षर  
*निर्माण खण्ड*  
*मिल्ली ल००५८*  
*निर्माण खण्ड*

*f*  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०  
थराली (चमोली)